(ii) With five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 4 (Rs.25,500-81,100)in the parent cadre or department; and Possessing the following educational qualifications: Diploma in Mechanical or Electrical Engineering or Electronics of Computer (IT) or Printing or Photography or Textile Designing or Art and Crafts or Interior Designing of Tailoring (recognized by Government).		

[F. No. A.12018/26/2016-MH.II]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 146.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु (उच्च श्रेणी लिपिक-सह भंडारपाल और अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2010 और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु(उच्च श्रेणी लिपिक-सह भंडारपाल भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु (उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरणऔर वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(I)जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है, या

(II)जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	04*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (25,500/-रु.- 81,100/-रु.)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शासकीय सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पण1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम,हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्रों के हैं)। **टिप्पणी 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री **वांछनीय:** 1. कंप्यूटर प्रचालन का आधारभूत ज्ञान 2. प्रशासन, लेखा और भंडारण का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पणी 2:** अनुभव संबंधी आर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएँ कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	'नही'	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 25% प्रोन्नति द्वारा 75% सीधे भर्ती द्वारा। टिप्पण1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी:- (क)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; और (ख)जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आर्हताएं हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2(19,900-63,200 रु.) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पणीः** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु -सदस्य 3.प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु - सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	2*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-2 (19,900/-रु. - 63,200/- रु.)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शासकीय सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पण1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

					मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्रों के हैं)। **टिप्पणी 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
i. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय मे 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता। ii. मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10,500 के डी पी जी/9000 के डी पी एच समरूप 35 शब्द प्रति मिनट)	'नही'	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 50% प्रोन्नति द्वारा 50% सीधे भर्ती द्वारा। **टिप्पण1:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी:-(क)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; और(ख)जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आर्हताएँ हों।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2:** अनुभव संबंधी आर्हताएँ उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएँ कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000-56,900 रु.) में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृंद में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii)जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता हो। जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु - सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी	लागू नहीं होता।

इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	संस्थान, बैंगलूरु -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलूरु - सदस्य	

[फा. सं. 4-6/2021-प्रशा.V]

खाम खान सुआन,अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 23rd November, 2021

G.S.R. 146.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Bangaluru (upper Division Clerk-cum-store keeper and Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2010, and the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangaluru (Upper Division Clerk-cum-store keeper) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely. -

(1) Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru, (Upper Division Clerk and Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No Person, -

(I) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(II) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age -limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk	4* (2021) * subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	level 4 (Rs. 25,500/ – Rs.81,100/-)	Non- selection	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Bacherol's degree from a recognised University. **Desirable :** 1.Basic Knowledge in computer operations 2.Experience in Administration, Accounts and Storekeeping. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the	'No'	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment. 25% by promotion 75% by direct recruitment. **Note.** —Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government. — (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications

Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			prescribed for direct recruits in column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation, grade from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Promotion from Lower Division Clerk in level 2 (Rs.19, 900-/- Rs. 63,200/-) in the pay matrix with eight year's regular service in the grade. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service being considered for promotion, their seniors would also be consider provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or service.	**Group 'C' departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :-** 1. Director, Central institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Member **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of: -** 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk	2* (2021) * subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	level 2 (Rs.19,900/– Rs.63,200/-)	Not selection	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i)12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University (ii) A typing speed of 30 w.p.m in English or 25 w.p.m in Hindi on manual typewriter Or A typing speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m in Hindi on computer. (35 w.p.m correspond to 10,500 KDPG/ 9,000 KDPH on an average of five key depressions for each word) **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	'No'	Two years for direct recruit	Promotion failing which by direct recruitment. 50% by promotion 50% by direct recruitment. **Note.** —Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government. — (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7).

(11)	(12)	(13)
Promotion : (i) Promotion from Group `C' Staff in level 1(Rs.18, 000-/- Rs. 56,900/-) in the pay matrix with three year's regular service in the grade.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of : -** 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Chairman 2. Deputy Director Central Institute of Coastal	Not applicable.

(ii) who possess 12[th] class pass or equivalent qualification: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service being considered for promotion, their seniors would also be consider provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or service.	Engineering for Fishery, Bengaluru - Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru – Member **Group 'C' Departmental Confirmation Committee(for confirmation) consisting of: -** 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru- Member	

[F.No.4-06/2021-Admn.V]

KHAM KHAN SUAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.12.02 10:49:26 +05'30'